20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(178)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी- 5990/2018/बुरहानपुर/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक /२०१८ निगरानी (विविध)

श्री सक्सेना के. कवरसी द्वारा आज दि. 1-10-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-10-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नारायण पुत्र बाबू तामहे, निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, बुरहानपुर-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थी

9/10/18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५०-म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९

विरुध्द आदेश अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग, दिनांक

दिनांक २५-४-१८ । प्र०क्र० ५२४/१७-१८-अपील ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5990/2018/बुरहानपुर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-18	आवेदक की ओर से श्री एस0के0अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध अब पुनरीक्षण का प्रावधान समाप्त होने से संहिता की धारा 8 का उपयोग करते हुयेयह आवेदन दिया गया है ।प्रकरण कोटवार की सेवा भूमि से संबंधित होकर अपर आयुक्त के आदेश में प्रथमदृष्टया ऐसी कोई कमी नहीं है कि संहिता की धारा 8 का प्रयोग किया जावे । अत: यह आवेदन अमान्य किया जाता है । अध्यक्ष	